

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— सोनभद्र।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./एम. एण्ड ई. भ्रमण/2018-19/105/5009 दिनांक 26.09.2019

विषय—दिनांक 26 से 30 अगस्त, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।


महोदया,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/ 2019-20/18/3883-2 दिनांक 30.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26 से 30 अगस्त, 2019 तक जनपद सोनभद्र का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया,


(थमीरा अग्रिया ए.)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./एम. एण्ड ई. भ्रमण/2018-19/105/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

तददिनांक

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद सोनभद्र।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मीरजापुर, मण्डल— मीरजापुर।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मीरजापुर
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(डा० अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम. एण्ड ई.
नोडल अधिकारी—मीरजापुर

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद- सोनभद्र।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./एम. एण्ड ई. भ्रमण/2018-19/105/

दिनांक 06.09.2019

विषय-दिनांक 26 से 30 अगस्त, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-SPMU/NHM/M&E/ 2019-20/18/3883-2 दिनांक 30.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26 से 30 अगस्त, 2019 तक जनपद सोनभद्र का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए.)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./एम. एण्ड ई. भ्रमण/2018-19/105/5809-6 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद सोनभद्र।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मीरजापुर, मण्डल- मीरजापुर।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मीरजापुर
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 अनामिका मिश्रा)

महाप्रबन्धक, एम. एण्ड ई.
नोडल अधिकारी-मीरजापुर

भ्रमण आख्या जनपद-सोनभद्र

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या- SPMU/NHM/M&E/ 2019-20/18/3883-2 दिनांक 30.07.2019 के अनुपालनार्थ दिनांक 26-30 अगस्त, 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद सोनभद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री परमहंस कुशवाहा, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, आर.बी.एस.के., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयाँ :-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोरावल।
2. ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ककराही।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखन (एच.डब्ल्यू.सी.)।
5. रिहन्द चिकित्सालय (वी.एच.एन.डी.) विकास खण्ड म्योरपुर।
6. उपकेन्द्र खरूआँव (एल-1), विकास खण्ड घोरावल।
7. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबर्टसगंज।
8. एन.डी.डी. गतिविधियाँ।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :-

क्र. सं.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोरावल	<ul style="list-style-type: none"> ● मुख्य द्वार पर निष्प्रयोज्य व्हीलचेयर रखी गयी थी व स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं था। गाड़ियों के पार्किंग मुख्य द्वार तक अव्यवस्थित ढंग से की जा रही थी जिससे मरीजों एवं एम्बुलेन्स को चिकित्सालय पहुंचने में परेशानी हो रही है। ● ओ.पी.डी., इमरजेन्सी व प्रसव कक्ष हेतु साइनेजेज नहीं लगाये गये हैं। ● इमरजेन्सी वार्ड में अत्यधिक गंदगी फैली हुयी थी एवं प्रकाश की समुचित रूप से व्यवस्था नहीं थी। ● एक्सरे रूम 3 वर्षों से बन्द था। एक्सरे मशीन कियाशील है। एक सप्ताह पूर्व एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती हुयी है लेकिन डार्क रूम असिस्टेन्ट का पद रिक्त है। डार्करूम टूटा हुआ है। जिस कारण जनमानस को चिकित्सालय में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ● पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेवा प्रदाताओं को माह जून, 2019 के उपरान्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ● जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत कुल 1616 के सापेक्ष 1535 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। ● नवीनतम आशा भुगतान वाउचर उपलब्ध नहीं है। ● लेबर रूम में गैस रहित आक्सीजन सिलेण्डर रखा गया था। ● लेबर रूम के शौचालय में रनिंग वाटर व प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ● पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूता श्रीमती कविता पत्नी श्री बब्लू निवासिनी मगरदहा क्रे द्वारा दिनांक 26.08.2019 को 108 एम्बुलेन्स सेवा का 	<ul style="list-style-type: none"> ● मुख्य द्वार पर व्हीलचेयर व स्ट्रेचर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया तथा चिकित्सालय में उपलब्ध स्थल पर पार्किंग कराये जाने की सलाह प्रदान की गयी। ● आवश्यक साइनेजेज लगाये जाने का सुझाव दिया गया। ● वार्ड को गंदगीमुक्त व प्रकाश युक्त बनाने का सुझाव दिया गया। ● जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुये जनमानस को एक्स-रे की सेवायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। ● प्रत्येक माह नियमित रूप से पी0पी0आई0यू0सी0डी0 के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का सुझाव दिया गया। ● जे0एस0वाई0 के समस्त लाभार्थियों के शतप्रतिशत लाभार्थियों के ससमय भुगतान करने का सुझाव दिया गया। ● नवीनतम आशा भुगतान वाउचर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र/मॉग पत्र जनपद स्तर पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। ● लेबर रूम में गैस भरे हुये आक्सीजन सिलेण्डर रखे जाने का सुझाव दिया गया। ● लेबर रूम के शौचालय में रनिंग वाटर व प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया। ● श्री दिनेश यादव, जनपदीय प्रतिनिधि, 108 एम्बुलेन्स सेवा के मो.नं. 9453413800 पर वार्ता कर दोनों प्रकरणों का विवरण 	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई / राज्य स्तर

	<p>उपयोग सी.एच.सी. घोरावल आने हेतु किया गया जिसके एवज में एम्बुलेंस कार्मिकों द्वारा ₹0 50 की वसूली की गयी।</p> <ul style="list-style-type: none"> पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूता श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री मनोज यादव निवासिनी धनावल के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को 108 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग सी.एच.सी. घोरावल आने हेतु किया गया जिसके एवज में एम्बुलेंस कार्मिकों द्वारा ₹0 50 की वसूली की गयी। पी.एन.सी. वार्ड में कोई आई.ई.सी. नहीं लगी थी। जे0एस0एस0के0 भोजन रजिस्टर समुचित रूप से तैयार नहीं किया जा रहा है। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (बी0ए0एम0) का पद वर्ष 2016 से रिक्त है। आशा 6-7 माड्यूल चतुर्थ चरण प्रशिक्षण में उपस्थित आशाओं को बिना माड्यूल उपलब्ध कराये ही प्रशिक्षण का आयोजन विगत 2 दिनों से किया जा रहा था। वर्ष 2019-20 हेतु रोगी कल्याण समिति की पंजिका उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आर.बी.एस.के एवं एम. एण्ड ई. के अन्तर्गत समस्त अनुबन्धित तीनों वाहन नहीं आये थे। जिससे आर.बी.एस.के. की दोनों टीमों कार्य योजना के अनुरूप विद्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कर सकी। आर.बी.एस.के. टीम के बैठने हेतु कक्ष निर्धारित नहीं था। टीम को उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में समस्त कॉलम नहीं भरे जा रहे थे। संदर्भन की लाइन लिस्ट तैयार नहीं की गयी है। टीम द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट नहीं प्रेषित की जा रही है। टीम के पास अधोमानक गुणवत्ता के अपूर्ण उपकरण पाये गये व टार्च में बैटरी नहीं थी। टीम द्वारा फील्ड विजिट कम किया जा रहा था जिससे लक्ष्य सापेक्ष एचीवमेन्ट बहुत कम था। बच्चों का रेफरल एवं उपचार बहुत कम था। टीम को कार्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी व टीम द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य अपूर्ण थे। टीम के मॉनिटरिंग एम. ओ0आई0सी0/डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा नियमित नहीं की जा रही है। 	<p>नोट कराया गया तथा अनुपालन की यथा स्थिति से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> पी.एन.सी. वार्ड में आवश्यक आई.ई.सी. लगाये जाने का सुझाव दिया गया। जे0एस0एस0के0 भोजन रजिस्टर समुचित रूप से तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (बी0ए0एम0) के रिक्त पद की सूचना जनपद स्तर से राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। आशा 6-7 माड्यूल चतुर्थ चरण प्रशिक्षण दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित कराये जाने का सुझाव दिया गया। वर्ष 2019-20 हेतु रोगी कल्याण समिति की पंजिका उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। आर.बी.एस.के एवं एम. एण्ड ई. के अन्तर्गत समस्त अनुबन्धित तीनों वाहनों के समुचित उपयोग का सुझाव दिया गया। भ्रमण दल द्वारा आर.बी.एस.के. टीम के बैठने हेतु कक्ष का चिन्हांकन चिकित्सा अधीक्षक की सहमति से किया गया। आर.बी.एस.के. कार्यक्रम को दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित किये जाने का सुझाव दिया गया। 	
2	<p>ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककराही</p> <ul style="list-style-type: none"> विगत एक माह से चिकित्सा अधिकारी द्वितीय के कार्यमुक्त हो जाने के कारण एन.एच.एम. के फण्ड का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। पी.एच.सी. के मुख्य द्वार के बगल में निष्प्रयोज्य सामग्रियों/वस्तुओं का अधिक मात्रा में ढेर लगा हुआ है। 	<ul style="list-style-type: none"> एन.एच.एम. के फण्ड के उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया। मुख्य द्वार के बगल में निष्प्रयोज्य सामग्रियों/वस्तुओं के निस्तारण का सुझाव दिया गया। 	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● लेबर रूम में आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध नहीं था। ● लेबर रूम में शौचालय नहीं है। ● जे.एस.एस.के. डायट रजिस्टर समुचित रूप से नहीं भरा जा रहा है। ● बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु चयनित संस्था द्वारा सप्ताह में दो बार भ्रमण किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को एकत्रित करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। ● इमरजेन्सी ट्रे को समुचित रूप से तैयार नहीं किया गया है। ● तीन स्टॉफ नर्स कार्यरत है जिसमें से पी.पी.आई.यू.सी.डी. में कोई प्रशिक्षित नहीं है। ● चिकित्सालय में होने वाली समस्त ए.एन.सी. का अंकन एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर नहीं किया जा रहा है। ● जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ का विवरण चिकित्सालय में कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है। ● आर.बी.एस.के. टीम द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैठने हेतु कक्ष की व्यवस्था नहीं है। ● टीम अपना पूरा लॉजिस्टिक वाहन में रखती है। ● टीम द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्रों का आच्छादन अत्यन्त कम था। ● बच्चों का रेफरल एवं उपचार बहुत कम था। ● टीम को कार्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। ● टीम के पास अधूरे व टूटे हुये उपकरण थे। ● हाईटोमीटर टेप से जोड़कर उपयोग किया जा रहा है। ● वाहन पर स्टीकर नहीं लगाये गये थे। 	<ul style="list-style-type: none"> ● लेबर रूम में आक्सीजन सिलेण्डर को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। ● शौचालय की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया। ● जे.एस.एस.के. डायट रजिस्टर समुचित रूप से बनाये जाने का सुझाव दिया गया। ● दिशा-निर्देशों के अनुरूप बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण करने का सुझाव दिया गया। ● इमरजेन्सी ट्रे को समुचित रूप से तैयार करने का सुझाव दिया गया। ● जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। ● चिकित्सालय में प्रदान की जाने समस्त सेवाओं का अंकन एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर करने का सुझाव दिया गया। ● जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ का विवरण चिकित्सालय में अंकित करने का सुझाव दिया गया। ● आर.बी.एस.के. कार्यक्रम को दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित किये जाने का सुझाव दिया गया। 	<p>कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/राज्य स्तर</p>
3	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अपूर्ण है। ● स्वास्थ्य केन्द्र पर लगभग 100 प्रसव प्रतिमाह कराये जाते हैं। सी.एच.सी. पर 2 स्टाफ नर्स की तैनाती की गयी है। ● लेबर टेबल जीर्ण अवस्था में है। लेबर टेबल पर मैनटॉश व कैलिशपैड इत्यादि उपलब्ध नहीं थे। फुट स्टेप उपलब्ध नहीं है। ● लेबर रूम के शौचालय व वॉश बेसिन की स्थिति दयनीय पायी गयी। ● लेबर रूम में शिशु वजन मशीन खराब थी। ● चिकित्सालय पर नर्स मेंटर की तैनाती की गयी है। ● रोगी कल्याण समिति मद में रू0 55230 विगत वित्तीय वर्ष की रक्षित धनराशि को व्यय किया 	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव भार के आधार पर स्टाफ नर्स की तैनाती का सुझाव दिया गया। ● लेबर रूम को मानकानुसार बनाये जाने का सुझाव दिया गया। 	<p>चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राज्य स्तर</p>

		<p>गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 20 दिन पूर्व ही रोगी कल्याण समिति मद में धनराशि जनपद स्तर से अवमुक्त की गयी है। चिकित्सालय भवन की गैलरी में दवाईयों, पट्टी, कॉटन व रजिस्टर इत्यादि बिखरे पड़े थे। चिकित्सालय की इमरजेन्सी की स्थिति अत्यन्त दयनीय पायी गयी। चिकित्सालय में लेबर रूम के अतिरिक्त कहीं पर शौचालय उपलब्ध नहीं है। सी.एच.सी. पर कार्यरत एच.वी. प्यून श्री मोलन द्वारा बताया गया कि वह कुत्ते के काटने वाले इंजेक्शन मरीजों को लगाते हैं। आर.बी.एस.के. टीम-ए का कार्य अच्छा था। लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि अच्छी थी व बच्चों का संदर्भन एवं उपचार किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति में मद में नियमानुसार, दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि उपयोग करने का सुझाव दिया गया। चिकित्सालय भवन की गैलरी में दवाईयों, पट्टी, कॉटन व रजिस्टर इत्यादि को फार्मासिस्ट के माध्यम से राज्य स्तरीय दल द्वारा सुव्यवस्थित कराया गया। इमरजेन्सी की स्थिति में सुधार करने एवं शौचालय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि एच.वी. प्यून श्री मोलन के निर्धारित कार्यों का सम्पादन कराया जाये। 	
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखन (एच.डब्ल्यू.सी.)	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन पुरानी आवासीय बिल्डिंग में किया जा रहा है जबकि नजदीक में नवीनतम भवन बनकर तैयार है। नवीनतम भवन में शिफ्ट करने हेतु ब्लाक/जनपद स्तर से आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। चिकित्सालय हेतु अनुमन्य आर.के.एस. फण्ड का उपयोग नहीं किया गया है और न ही इस धनराशि को उपयोगित किये जाने हेतु चिकित्सा अधिकारी को अभिमुखिकृत किया गया है। चिकित्सालय में लगभग 90 प्रसव प्रतिमाह कराये जाते हैं। किन्तु एन.बी.सी.सी. नहीं बनाया गया है। किन-किन प्रसूताओं को जे.एस.वाई का लाभ प्राप्त कराया जा चुका है इसकी जानकारी चिकित्सा अधिकारी को नहीं थी। पी.एन.सी. वार्ड में लाइट की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सालय को एच.डब्ल्यू.सी. के रूप में चिन्हित किया गया है किन्तु मेंज व कुर्सी के अतिरिक्त कोई भी लॉजिस्टिक, सामग्री व औषधि उपलब्ध नहीं कराया गया है। एल.एच.वी. द्वारा बताया गया कि कार्यकर्ताओं द्वारा रु0 5000 चन्दा लगाकर बगल में लगे सोलर सिस्टम से कनेक्शन लिया गया है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चन्दा के पैसे से साफ-सफाई करायी जाती है। 	<ul style="list-style-type: none"> नवीनतम भवन में शिफ्ट करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। चिकित्सालय हेतु अनुमन्य आर.के.एस. फण्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। एन.बी.सी.सी. बनाये जाने का सुझाव दिया गया। ब्लॉक स्तर से सूची प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। पी.एन.सी. वार्ड में लाइट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक उपलब्ध कराये जाने का मॉग-पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। आवश्यक सामग्री/लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कराने हेतु मॉग-पत्र सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। 	चिकित्सा अधीक्षक/जनपद स्तर
5	उपकेन्द्र खरुआँव (एल-1), विकास खण्ड घोरावल	<ul style="list-style-type: none"> उपकेन्द्र पर औसतन 20-25 प्रसव प्रतिमाह कराये जाते हैं। लेबर रूम में एन.बी.सी.सी. नहीं बनाया गया है। लेबर रूम की शौचालय की बाल्टी एवं मग अत्यन्त पुराने एवं टूटे हुए हैं। हैण्डवाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम को मानकानुसार बनाये जाने का सुझाव दिया गया। 	ए.एन.एम./प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/जनपद स्तर

		<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम में पर्दा नहीं लगाया गया है। अंतर वित्तीयन नियमों के अनुरूप उपकेन्द्र अनटाइड धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चिन्हित की गयी एच.आर.पी. का पूर्ण विवरण तैयार नहीं किया गया है। उपकेन्द्र पर होने वाले प्रसवों के भुगतान के संबंध में ए.एन.एम. कोई जानकारी नहीं है। उपकेन्द्र हेतु साइनेज बोर्ड नहीं लगाया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> अंतर वित्तीयन नियमों के अनुरूप उपकेन्द्र अनटाइड धनराशि उपलब्ध कराये जाने का मॉग-पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। चिन्हित की गयी एच.आर.पी. का पूर्ण विवरण तैयार करने का सुझाव दिया गया। उपकेन्द्र पर होने वाले प्रसवों के भुगतान की सूची प्राप्त की जाये। उपकेन्द्र हेतु साइनेज बोर्ड लगाये जाने का सुझाव दिया गया। 	
6	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबर्ट्सगंज	<ul style="list-style-type: none"> मरीजों हेतु पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मुख्य मार्ग पर साइनेज नहीं लगाया गया है। चिकित्सालय में लगा कण्डोम बाक्स खाली है। कार्यरत दोनों स्टाफ नर्स को छाया व अन्तरा में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है। चिकित्सालय में ई.सी. पिल्स उपलब्ध नहीं है। मण्डी मोहाल वार्ड न0 12 में कार्यरत सुश्री नमीता होरो ए.एन.एम. के यू.एच.एन.डी. सत्र का स्थल निर्धारित नहीं है। नवीन तैनात की गयी ए.एन.एम. को बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, हब कटर व एच.बी. किट, यूरिक स्टीक इत्यादि उपलब्ध नहीं है। ए.एन.एम. द्वारा कोल्डचेन से वैकसीन कैरियर को स्वयं सत्र स्थल तक ले जाया जाता है तथा वापस जमा भी किया जाता है। अरबन रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जा रही है किन्तु गवर्निंग बॉडी की बैठक की जानी शेष है। 	<ul style="list-style-type: none"> मरीजों हेतु पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। मुख्य मार्ग पर साइनेज लगाये जाने का सुझाव दिया गया। चिकित्सालय में लगा कण्डोम बाक्स को समय-समय पर भरने का सुझाव दिया गया। स्टाफ नर्स को छाया व अन्तरा में प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया। चिकित्सालय में ई.सी. पिल्स उपलब्धता का सुझाव दिया गया। ए.एन.एम. के यू.एच.एन.डी. सत्र का स्थल निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। नवीन तैनात की गयी ए.एन.एम. को आवश्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। अरबन रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक कराये जाने का सुझाव दिया गया। 	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/जनपद स्तर

रिहन्द चिकित्सालय (वी.एच.एन.डी.) विकास खण्ड म्योरपुर:-

- महिला कार्यकर्ती के पास माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं है।
- कार्यकर्ती के पास एम.आर. वैकसीन उपलब्ध नहीं थी।
- प्रतिरक्षण के उपरान्त दिये जाने वाले 4 महत्वपूर्ण संदेश महिला कार्यकर्ती को क्रमानुसार ज्ञात नहीं थे जिसे राज्य स्तरीय दल द्वारा पुनः याद कराये गये।
- कार्यकर्ती के पास इयूलिस्ट तैयार थी किन्तु सत्र पर आने वाले लाभार्थियों की संख्या अत्यन्त कम थी।
- कार्यकर्ती के पास ग्लूकोमीटर उपलब्ध था किन्तु स्टिप्स उपलब्ध नहीं है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकर्ती को प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया है।
- सत्र हेतु आने वाले लाभार्थियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

एन.डी.डी.:-

- एन.डी.डी. कार्यक्रम के परीक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय चतरा एवं प्राथमिक विद्यालय बरईल तथा आंगनबाड़ी केन्द्र बरईल का भ्रमण किया गया है। चेकलिस्ट संलग्न।

(परमहंस कुशवाहा)
कार्यक्रम समन्वयक

(डा० राज किशोर त्रिपाठी)
प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी